रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 597] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 1998/भाद्र 20, 1920
No. 597] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1998/BHADRA 20, 1920

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1998

का. आ. 806(अ).—केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 (1986 का 2) की धारा 32 की उपधारा 2 (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम 1998 है :

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम 1986 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 9, नियम 10 और नियम 11 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे अर्थात् :—

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन :

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 की अनुसूची में आने वाले उत्पादों के निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रत्येक आवेदन, सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को प्ररूप 1 में किया जायेगा। इसके साथ सम्बद्ध प्रादेशिक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए आयातकर्ता की कोड संख्या, आवेदक की अच्छी वित्तीय स्थिति के समर्थन में बैंक के प्रमाण-पत्र की फोटोप्रति, लगे होंगे। आवेदन प्ररूप या तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए पी ई डी ए) से प्राप्त किया जा सकेगा या निर्यातकर्ता विहित प्ररूप की टंकित/फोटोप्रति प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित करवाके जिसमें उसका नाम, पदनाम तथा कम्पनी की रबड़ मुद्रा उपदर्शित करते हुए प्रस्तुत कर सकेगा।

(2) कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्यातकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पांच हजार रुपये की फीस लगी होगी।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देना :

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र देने के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी रीति से जांच कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे, और रजिस्ट्रीकरण को मंजूर या नामंजूर कर सकेगा।

(1) जहां रजिष्ट्रीकरण नामंजूर कर दिया जाता है, वहां इस प्रकार नामंजूर करने के कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा और उसकी एक प्रति आवेदक को दी जाएगी और आवेदक द्वारा संदत्त फीस उसे वापस कर दी जाएगी।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण को मंजूर कर दिया जाता है वहां सचिव या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी आवेदक की व्यापारिक या विनिर्माता-निर्यातकर्ता के रूप में प्रास्थिति को उपदर्शित करते हुए प्ररूप 2 में कोई प्रमाण-पत्र जारी करेगा जो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जैसा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित है।

"11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का रद्दकरण :

जहां सचिव या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने गलत सूचना देकर प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया है उसने इन नियमों के किसी उपबन्ध या प्रमाण-पत्र में उल्लिखित किसी शर्त का उल्लंघन किया है, ऐसा कोई व्यक्ति जो निर्यातकर्ता के रूप में रजिष्ट्रीकृत है, किसी अनुसूचित उत्पाद का जिसकी बाबत वह रजिस्ट्रीकृत है, लगातार बारह मास तक की अवधि के दौरान निर्यात करने में असफल रहता है, या यदि सचिव या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत ऐसे अन्य अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) के साथ रजिस्ट्रीकृत निर्यातकर्ता के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित हो गया है, वहां सचिव या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को जो प्रमाण-पत्र धारण करता है, अपने आक्षेप करने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा प्रमाण-पत्र को रद्द कर सकेगा और ऐसे आदेश की सूचना उसको देगा ।"

(3) उक्त नियमों के नियम 12, नियम 13, नियम 14 और नियम 15 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम रखे जायेंगे अर्थात् :—

"12. अपील :

ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 10 के अधीन पारित किये गये नामंजूरी के किसी आदेश द्वारा या नियम 11 के अधीन रद्दीकरण के पारित किये गये किसी आदेश के द्वारा व्यथित होता है तो वह यथास्थिति नामंजूरी या रद्दीकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपील कर सकेगा, जो ऐसे आदेश की अभिपुष्टि कर सकेगा या अपास्त कर सकेगा।

13. गठन के परिवर्तन के संबंध में सूचना :

किसी निर्यातकर्ता के स्वामित्व, गठन, नाम और पते में परिवर्तन होने की दशा में, उस पर यह आबद्धकर होगा कि वह ऐसे परिवर्तन के बारे में ऐसे परिवर्तन की तारीख से एक मास के भीतर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सूचित करे। तथापि प्राधिकरण, वास्तविक कठिनाई की दशा में गुणागुण के आधार पर विलम्ब को माफ कर सकेगा।

जहां सचिव या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत ऐसा अन्य अधिकारी परिवर्तन से सहमत होता है वहां वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में ऐसे परिवर्तन के ब्यौरों को दर्ज करेगा।

14. रजिस्टर का रखा जाना :

प्राधिकरण अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकर्ताओं का एक रजिस्टर रखेगा।

15. विवरणी मांगने की शक्ति :

अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रमाण-पत्र के धारक को, अपने कारबार के ऐसे अभिलेखों को ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए रखने और प्राधिकरण को अपने कारबार से संबंधित विवरणियों को ऐसा प्ररूप में जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा।"

(4) उक्त नियमों में इस प्रकार प्रतिस्थापित किये गये नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम 16 अन्तःस्थापित किया जायेगा :—

"16. फीस का संदाय :

अधिनियम या इन नियमों के अधीन प्राधिकरण को संदेय कोई फीस या रकम, प्राधिकरण के पक्ष में नकद द्वारा या मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या उन स्थानों पर जहां प्राधिकरण के कार्यालय अवस्थित हैं, स्थित किसी डाकघर में प्राधिकरण को संदेय भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा संदत्त की जाएगी।"

[फा. नं. 1/12/97-ई पी (कृषि)-IV]

एस. एम. आचार्य, संयुक्त सचिव

पाद टि ण :— मूल अधिसूचना का. आ. संख्यांक 652 (अ) तारीख 3 सितम्बर, 1986 द्वारा जारी की गई थी।